न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, मुंगेर

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा **लोक सभा आम निर्वाचन**, **2014** की घोषणा दिनांक **05.03.2014** को कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा चुनावी प्रचार कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन सभा/जुलूस का आयोजन किया जायेगा। जन सभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आतंकित किये जाने तथा विधि–व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित/असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है।

अतः उपर्युक्त पृष्ठभूमि में मैं **नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला दण्डाधिकारी, मुंगेर** संतुष्ट हो कर दिनांक **26.05.14** तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण **मुंगेर** जिला के अंतर्गत निम्नांकित आदेश जारी करता हूँ :–

1. किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होगी। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव–यात्रा, हाट, बजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र–छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
2. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर धनुष, लाठी, भाला, गंड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे।
   - क) यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि–व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
   - ख) यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।
3. किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो।

4. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़कायेंगे।

5. कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेगे।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय के मोहर से आज दिनांक 28.03.14 को जारी किया गया।

28/3/14

जिला दण्डाधिकारी,
मुंगेर

ज्ञापांक 379 ..../ **विधि, मुंगेर दिनांक-** 28.03.14 ....

प्रतिलिपि – मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि – सामान्य प्रेक्षक/पुलिस प्रेक्षक/व्यय प्रेक्षक, 28-मुंगेर/40-जमुई लोक सभा आम निर्वाचन 2014 को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि – निर्वाची पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, जमुई, 40-जमुई लोक सभा आम निर्वाचन 2014/जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना/लखीसराय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – अपर समाहर्ता, विभागीय जॉच मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अपर समाहर्ता, मुंगेर/ जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/तारापुर/खड़गपुर/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर/तारापुर/ खड़गपुर/ सभी कोषांग के वरीय-सह-नोडल पदाधिकारी, मुंगेर/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी प्रतिनियुक्त सुपर जोनल/जोनल/ सेक्टर दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी मुंगेर जिला को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

28/3/14

जिला दण्डाधिकारी,
मुंगेर